रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277435
CG-DL-E-26102026-277435

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 845] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948
No. 845] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 917(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये 01 नवंबर, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 9 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, विद्यमान उप-नियम (3क), (3ख) और (3ग) को क्रमशः उप-नियम (3ख), (3ग) और (3घ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-नियम (3ख) से पूर्व, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3क) ऐसा कोई व्यक्ति जो वाणिज्येतर उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्रीकृत विधिमान्य कार्यात्मक फास्टैग वाला एक यांत्रिक वाहन का स्वामित्व रखता है और वह फीस प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है, वह अपने विकल्प

पर, ऐसे फीस प्लाजा से आवागमन करने के लिए ऐसे वाहन के लिए उप-नियम (3) के अधीन मासिक पास या इस नियम के अधीन रियायती स्थानीय पास प्राप्त कर सकेगा, जो निम्नलिखित के संदाय पर केवल उसी विशिष्ट फीस प्लाजा के लिए विधिमान्य होगा—

(क) एक हजार पांच सौ रुपये प्रति वर्ष, जहाँ फीस प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमाओं से बाहर स्थित है; और

(ख) तीन हजार रुपये प्रति वर्ष, जहाँ फीस प्लाजा किसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित है:

परंतु इस उप-नियम के अधीन निर्दिष्ट दरों को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष 1 अप्रैल को संशोधित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि ऐसा कोई रियायती स्थानीय पास किसी ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या द्रुतगति मार्ग पर आवागमन के लिए जारी नहीं किया जाएगा जिस पर फीस 'संवृत्त उपयोक्ता फी संग्रहण प्रणाली' के आधार पर उद्गृहीत की है:

परंतु यह भी कि यदि ऐसे यांत्रिक वाहन के ऐसे चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति के उपयोग के लिए सेवा सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो ऐसा कोई रियायती स्थानीय पास जारी नहीं किया जाएगा।"

[फा. सं. एच 25016/03/2026-टोल-ई 268870]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:– मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात संख्यांक सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014, सा.का.नि. 2(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016, सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016, सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017, सा.का.नि. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018, सा.का.नि. 920(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018, सा.का.नि. 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019, सा.का.नि. 298(अ), तारीख 15 मई, 2020, सा.का.नि. 523(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020; सा.का.नि. 804(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020, सा.का.नि. 467 (अ) तारीख 24 जून, 2022, सा.का.नि. 725 (अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2023, सा.का.नि. 556 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2024, सा.का.नि. 388 (अ) तारीख 17 जून, 2025, सा.का.नि. 437 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2025, सा.का.नि. 734 (अ) तारीख 3 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि. 01(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2025, सा.का.नि. 107 (अ) तारीख 4 फरवरी, 2026, सा.का.नि. 191 (अ) तारीख 17 मार्च, 2026, सा.का.नि. 251 (अ) तारीख 2 अप्रैल, 2026 और सा.का.नि. 279 (अ) तारीख 13 अप्रैल, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2026

G.S.R.. 917(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Fifth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 01st day of November, 2026.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 9, after sub-rule (3), the existing sub-rule (3A), (3B) and (3C) shall be renumbered as sub-rule (3B), (3C) and (3D) and the following sub-rule shall be inserted, before sub-rule (3B) as so renumbered, namely:—

"(3A) A person who owns a mechanical vehicle, with valid functional FASTags registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from a fee plaza may, at his option, obtain either a monthly pass under sub-rule (3) or Concessional Local Pass under this rule for such vehicle for commuting through the such fee plaza, which shall be valid only for that specific fee plaza, on payment of—

(a) rupees one thousand and five hundred per annum, where the fee plaza is situated outside the limits of a municipal or local town area; and

(b) rupees three thousand per annum, where the fee plaza is situated within the limits of a municipal or local town area:

Provided that the rates specified under this sub-rule may be revised by the Central Government annually on every 1st April of the year:

Provided further that no such Concessional Local Pass shall be issued for commuting on a national highway or expressway on which fee is levied based on the closed user fee collection system:

Provided also that no such Concessional Local Pass shall be issued if a service road or alternative road is available for use by such driver, owner or person in charge of such mechanical vehicle.".

[F. No. H-25016/03/2026-Toll/E-268870]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Note:–The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 838 (E), dated the 5th December, 2008 and were subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 950(E), dated the 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E), dated the 12th January, 2011, G.S.R. 756(E), dated the 12th October, 2011, G.S.R. 778(E), dated the 16th December, 2013, G.S.R. 26(E), dated the 16th January, 2014, G.S.R. 831(E), dated the 21st November, 2014, G.S.R. 2(E), dated the 29th December, 2014, G.S.R. 220(E), dated the 23rd March, 2015, G.S.R. 585(E), dated the 8th June, 2016, G.S.R. 1114(E), dated the 2nd December, 2016, G.S.R. 248(E), dated the 14th March, 2017, G.S.R. 427(E), dated the 7th May, 2018, G.S.R. 920(E), dated the 25th September, 2018, G.S.R. 942(E), dated the 20th December, 2019, G.S.R. 298(E), dated the 15th May, 2020, G.S.R. 523(E), dated the 24th August, 2020; G.S.R. 804(E), dated the 30th December, 2020, G.S.R 467 (E) dated the 24th June, 2022, G.S.R 725 (E), dated the 6th October, 2023, G.S.R 556 (E), dated the 9th September, 2024, G.S.R. 388 (E) dated the 17th June, 2025, G.S.R. 437 (E) dated the 1st July, 2025, G.S.R. 734 (E) dated the 3rd October, 2025, G.S.R. 01 (E) dated the 31st December, 2025, G.S.R. 107 (E) dated the 4th February, 2026, G.S.R. 191 (E) dated the 17th March, 2026, G.S.R. 251 (E) dated the 2nd April, 2026 and G.S.R. 279(E) dated the 13th April, 2026 .

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA